



आभासी डजिटल परसिंपत्तिका वनियमन

प्रलिम्स के लयि:

PMLA, VDA, क्रपिटोकरेंसी, फरिट मुद्रा ।

मेन्स के लयि:

आभासी डजिटल परसिंपत्तिका वनियमन करना ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने [धन शोधन रोधी प्रावधानों \(Anti-money Laundering provisions\)](#) का दायरा [आभासी डजिटल परसिंपत्तिका \(Virtual Digital Assets- VDA\)](#) व्यवसायों एवं सेवा प्रदाताओं तक बढ़ा दिया है ।

- मंत्रालय ने अधिनियम के तहत VDA और क्रपिटोकरेंसी से संबंधित गतिविधियों को शामिल कर [धन शोधन निवारण अधिनियम \(Prevention of Money Laundering Act- PMLA\), 2002](#) का दायरा बढ़ाया है ।

PMLA 2002 के तहत VDA को शामिल करने की प्रक्रिया:

■ वसितारति गतिविधियाँ:

- VDA और [फरिट मुद्राओं](#) के बीच वनियम (केंद्र सरकार द्वारा कानूनी नविदा) ।
- VDA के एक या अधिक रूपों के बीच आदान-प्रदान ।
- VDA का स्थानांतरण ।
- VDAs या VDAs पर नियंत्रण को सक्षम करने वाले उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन ।
- जारीकर्ता की पेशकश और VDA की बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी एवं प्रावधान ।

- अब VDA को [वित्तीय खुफिया इकाई-भारत \(Financial Intelligence Unit-India- FIU-IND\)](#) के साथ एक रपिर्गटिग इकाई के रूप में पंजीकृत होना होगा ।

- FIU-IND संयुक्त राज्य अमेरिका में FinCEN के समान कार्य करती है । वित्त मंत्रालय के तहत इसे वर्ष 2004 में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण एवं प्रसारित करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था ।
- उदाहरण के लिये CoinSwitch जैसे रपिर्गटिग इकाई प्लेटफॉर्म अब नो योर कस्टमर, सभी लेन-देन रिकॉर्ड एवं नगिरानी करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर FIU-IND को रपिर्गटिग करने के लिये अधिकृत है ।

- [वैश्विक दशानिर्देशों के अनुरूप](#): यह [अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष \(IMF\)](#) और [वित्तीय कार्रवाई कार्य बल \(FATF\)](#) द्वारा जोखिम को कम करने हेतु नरिदेशित वैश्विक दशानिर्देशों के अनुरूप है ।

- FATF के पास वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) की व्यापक परिभाषा के साथ-साथ बचौलियों, दलालों, एक्सचेंजों, कस्टोडियन, हेज फंड और यहाँ तक कि खनन नकियाँ को सम्मिलित करने वाली एक व्यापक सूची है ।
- इस तरह के दशानिर्देश वर्चुअल डजिटल एसेट इकोसिस्टम के नियमन और नरिक्षण में VASP की भूमिका को स्वीकार करते हैं ।

पहल का महत्त्व और उससे संबंधित चिंताएँ:

■ महत्त्व:

- इस तरह के नियम पहले से ही बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्रतभूतियों तथा अचल संपत्तिसिंधी बाजारों में कुछ मध्यस्थों पर लागू होते हैं ।

- इसे वर्चुअल डिजिटल परसिंपत्तियों तक वसितारति करने से इस प्लेटफॉर्म को अधिक सतर्कता से नगिरानी करने और कदाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
- ऐसे मानदंडों का मानकीकरण भारतीय वर्चुअल डिजिटल परसिंपत्तक्षेत्र को पारदर्शी बनाने में काफी मदद करेगा।
- यह पारस्थितिकी तंत्र में वशिवास स्थापति करेगा और सरकार को वर्चुअल डिजिटल परसिंपत्तिलेन-देन पर अधिक नगिरानी करने में मदद करेगा जो सभी के लयि फायदेमंद होगा।

■ चतिाएँ:

- एक केंद्रीकृत नियामक की अनुपस्थितिमें VDA संस्थाओं को [प्रवरत्तन नदिशालय](#) जैसे अभकिरणों के साथ सीधे वयवहार

